कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती कनक मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन्स, कोटा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गादिया भादर जिला डूंगरपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती कनक मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 562/2019 कनक मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 562/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती कनक मीणा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों के मद्देनजर अपना पदस्थापन/समायोजन कोटा अथवा बूंदी जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी श्रीमती कनक मीणा की व्यक्तिगत कठिनाईयों और पारिवारिक परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका समायोजन/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बार्ड नं. 12 इन्द्रगढ, केशोरायपाटन जिला बूंदी किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्रीमती कनक मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में तत्काल कार्यमुक्त हों कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सम्बन्धी समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/कनक मीणा/अपील/562/2019 **दिनांकः** 27-11-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/उदयपुर संभाग, कोटा/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर/बून्दी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, डूंगरपुर/बून्दी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर